

GST परिषद की 45वीं बैठक

प्रलिस के लयः

GST परिषद, GST

मेन्स के लयः

GST परिषद की संरचना और संबधति मुददे

चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वसतु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) की 45वीं बैठक संपन्न हुई ।

What's in store | The 45th GST Council meeting was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lucknow on Friday. Among the key decisions are:

■ Concessional tax rates on COVID-19 **essential medicines like Tocilizumab** extended till December 31

■ **Muscular atrophy drugs** such as Zolgensma and Viltepso that cost around ₹16 cr. exempted from GST

■ Import of **leased aircraft** exempted from I-GST

■ **Food delivery apps** to collect GST instead of restaurants

■ Tax on **fortified rice kernels** for ICDS scheme reduced from 18% to 5%

■ GST on **cancer drug Keytruda** brought down from 12% to 5%



प्रमुख बदि

- रयियती GST दरों का वसितार:
 - परिषद ने दसिंबर 2021 तक **कोवडि-19 उपचार** से संबधति कई दवाओं पर GST राहत के वसितार का नरिणय लयि ।
- खादय वतिरण एप्स एकत्र करेंगे GST:
 - अब रेस्रतर्ण भागीदारों के बजाय ऑनलाइन फूड डलिवरी एग्रीगेटर फर्म जैसे **स्वगीी और ज़ोमैटो** GST का भुगतान करने के लयि उत्तरदायी होंगे ।
 - वर्तमान में फूड एग्रीगेटर्स द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन बलियों में पहले से ही GST एक कर घटक होता है ।
 - अभी तक कर की राशिका भुगतान रेस्रतर्ण भागीदारों को वापस कर दयिा जाता है, जनिसे उम्मीद की जाती है कविे इस राशिका भुगतान सरकार को करेंगे ।
- पेट्रोल-डीज़ल GST के दायरे में नहीं आएगा:
 - परिषद ने पेट्रोल और डीज़ल को GST के दायरे में नहीं लाने का फैसला कयिा है । राज्यों ने इनकी कीमतों में उछाल पर चतिा जताते हुए बैठक

के दौरान ईंधन को शामिल करने का कड़ा वरिध कया।

- यदपेट्रोल और डीज़ल GST व्यवस्था के तहत आते हैं, तो कीमतें सभी राज्यों में एक समान हो जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए वभिन्न उत्पाद शुल्क तथा वैट दरों को हटा दिया जाएगा।
- इससे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में महत्त्वपूर्ण कमी लाने में मदद मललीगी, हाल के समय में जनिकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

■ फोर्टफाइड चावल पर GST घटाया गया:

- [एकीकृत बाल विकास योजना](#) जैसी योजनाओं के लयि [फोर्टफाइड चावल](#) पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की सफारश की गई है।

■ दर को युक्तसिंगत बनाने के लयि GOM:

- रविरस शुल्क ढाँचे को ठीक करने और राजस्व बढ़ाने के परयास हेतु दर युक्तकरण संबंधी मुद्दों को देखने के लयिराज्य के मंत्रयों के एक समूह (GOM) का गठन कया जाएगा।
 - रविरस शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आउटपुट या अंतमि उत्पाद पर कर, इनपुट पर कर से कम होता है, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक रविरस संचय होता है जसि ज़्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है।
 - रविरस शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) में राजस्व बहरिवाह की समस्या नहिति है, इसके लयि सरकार को शुल्क संरचना पर फरि से वचिर करना चाहयि।
- ई-वे बलि, फ्रास्टैंग, अनुपालन (Compliances), प्रौद्योगिकी, वर्तमान कमयों को दूर करने, कंपोज़शिन स्कीम आदिके मुद्दों को व्यवस्थति करने के लयि अन्य GOM स्थापति कयि जाएंगे।

GST परषिद

- यह माल और सेवा कर से संबंधति मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सफारश करने के लयि अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानकि नकिय है।
- GST परषिद की अध्यक्षता केंद्रीय वतित मंत्री करता है और सभी राज्यों के वतित मंत्री परषिद के सदस्य होते हैं।
- इसे एक संघीय नकिय के रूप में स्थापति कया गया है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचति प्रतनिधित्व मलितता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस